दिल्ली विकास प्राधिकरण
भूमि प्रबंधन

सार्वजनिक सूचना

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24(2) के अंतर्गत ऐसे मामलों का विवरण जहां सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी की अनुमति दी और भूमि अधिग्रहण को बरकरार रखा।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही से संबंधित मामलों के विभिन्न बैचों में निर्णय दिए हैं, विशेष रूप से भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24(2) की प्रयोज्यता के संबंध में। ये निर्णय दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम तेजपाल एवं अन्य, एनसीटी दिल्ली सरकार (सचिव, भूमि और भवन विभाग के माध्यम से) बनाम मैसर्स के. एल. राठी स्टील्स लि. एवं अन्य, तथा एनसीटी दिल्ली सरकार बनाम मैसर्स बीएसके रियल्टर्स एलएलपी एवं अन्य, के मामले में दिनांक 17.05.2024 को निर्णय दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी स्वीकार करने और भूमि अधिग्रहण को बरकरार रखने वाले मामलों की कुल संख्या 17.05.2024 तक लगभग 207 है।

ऐसे मामलों का विवरण, जिनमें मामले की जानकारी एवं संबद्ध सूचनाएं शामिल हैं, सार्वजनिक अवलोकन हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की आधिकारिक वेबसाइट पर निम्न लिंक: **https://dda.gov.in/land-management/Policies-Circulars-Guideline** पर उपलब्ध है।

अस्वीकरण: यह किसी भी प्रकार के कानूनी दावे का आधार नहीं होगी और इसे केवल सार्वजनिक सूचना के उद्देश्य से जारी किया गया है।

हस्ता./–
आयुक्त (भूमि प्रबंधन)
दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिनांक: 12.05.2026

दिल्ली विकास प्राधिकरण
भूमि प्रबंधन

सार्वजनिक सूचना

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24(2) के अंतर्गत ऐसे मामलों का विवरण जहां सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी की अनुमति दी और भूमि अधिग्रहण को बरकरार रखा।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही से संबंधित मामलों के विभिन्न बैचों में निर्णय दिए हैं, विशेष रूप से भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24(2) की प्रयोज्यता के संबंध में। ये निर्णय दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम तेजपाल एवं अन्य, एनसीटी दिल्ली सरकार (सचिव, भूमि और भवन विभाग के माध्यम से) बनाम मैसर्स के. एल. राठी स्टील्स लि. एवं अन्य, तथा एनसीटी दिल्ली सरकार बनाम मैसर्स बीएसके रियल्टर्स एलएलपी एवं अन्य, के मामले में दिनांक 17.05.2024 को निर्णय दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी स्वीकार करने और भूमि अधिग्रहण को बरकरार रखने वाले मामलों की कुल संख्या 17.05.2024 तक लगभग 207 है।

ऐसे मामलों का विवरण, जिनमें मामले की जानकारी एवं संबद्ध सूचनाएं शामिल हैं, सार्वजनिक अवलोकन हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की आधिकारिक वेबसाइट पर निम्न लिंकः **https://dda.gov.in/land-management/Policies-Circulars-Guideline** पर उपलब्ध है।

अस्वीकरणः यह किसी भी प्रकार के कानूनी दावे का आधार नहीं होगी और इसे केवल सार्वजनिक सूचना के उद्देश्य से जारी किया गया है।

हस्ता./–
आयुक्त (भूमि प्रबंधन)
दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिनांकः 12.05.2026